संख्या- 56/2018/965/24-1-18-902 (बजट) /2018

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2018

विषय:-उदय योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत प्रतिभूति के सापेक्ष स्वीकृत ब्याज रहित ऋण को अनुदान में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-554/मु0म0प्र (वित्त) /विप्र-2/आय-व्ययक/2018-19/341, दिनांक 13.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-उदय योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत प्रतिभूति के सापेक्ष स्वीकृत ब्याज रहित ऋण को अनुदान में परिवर्तित किये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 4891,72,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ इक्यान्नवें करोड़ बहत्तर लाख मात्र) को पुस्तक समायोजन के माध्यम द्वारा स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा नकद न करके पुस्तक समयोजन द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त भाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-02-उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी बंधपत्रों (2015-16 एवं 2016-17) के-25 प्रतिशत के समतुल्य यू0पी0पी0सी0एल0 को स्वीकृत ब्याज रहित ऋण का अनुदान में परिवर्तन - 20 - सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान में परिवर्तित धनराशि को लेखाशीर्षक'' 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-205-संचरण तथा वितरण-00-03-विद्युत वितरण कम्पनियों को 'उदय' योजनान्तर्गत राज्य

http://shasanadesh.up.nic.in

सरकार द्वारा निर्गत बन्धपत्रों से प्राप्त धनराशि के 25 प्रतिशत अंश के समतुल्य स्वीकृत ब्याज रहित ऋण की वापसी के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 84 /दस-2018, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-56/2018/965(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in